विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैं:

अध्याय–1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) के कार्यकलाप की सामान्य जानकारी,

अध्याय–2: छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के द्वारा दर अनुबंधों का अंतिमीकरण एवं सामग्रियों के क्रय पर निष्पादन लेखापरीक्षा, और

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड की निर्माण गतिविधियों पर लेखापरीक्षा

अध्याय–3: पीएसयूज पर तीन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 77.79 करोड़ है।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

राज्य पीएसयूज में निवेश

छत्तीसगढ़ में 23 पीएसयूज हैं। 31 मार्च 2017 को इन पीएसयूज में निवेश (पूंजी व दीर्घावधि ऋण) ₹ 24,161 करोड़ था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य शासन के निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र (₹ 1,223.85 करोड़) में था।

23 पीएसयूज में से 19 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम कार्यशील हैं। सभी तीन अकार्यशील पीएसयूज सरकारी कम्पनियाँ हैं।

23 पीएसयूज में से, 13 पीएसयूज के लेखे 2012–13 से 2016–17 तक की अवधि के लिए लंबित थे। लेखों को बनाने में विलंब/न बनाने के कारण तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण, गबन व दुरूपयोग की संभावना का भय बना रहता है।

20 पीएसयूज, जिन्होंने विगत तीन वर्षों में अपने लेखे अंतिमीकृत किए, उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 12 पीएसयूज ने ₹ 142.38 करोड़ का लाभ अर्जित किया, सात पीएसयूज ने ₹ 544.84 करोड़ की हानि वहन की तथा शेष एक पीएसयू को न लाभ हुआ न हानि, क्योंकि परियोजना निर्माण अवधि के दौरान इसका शुद्ध व्यय पूंजीगत चालू कार्य में लेखांकित किया गया। इन 20 पीएसयूज का टर्नओवर ₹ 23,094.67 करोड़ रहा।

20 पीएसयूज, जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों में लेखें अंतिमीकृत किये गए, द्वारा राज्य शासन के निवेशों (₹ 6,972.39 करोड़) पर औसत 3.52 प्रतिशत प्रतिफल उत्पन्न किया गया। इसके विपरीत, वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान, राज्य शासन के ऋण की औसत लागत 8.17 प्रतिशत थी। अतः विगत तीन वर्षो में इन 20 पीएसयूज में निवेश करने के कारण सरकारी कोष को ₹ 324.21 करोड़ की हानि हुई। शेष तीन पीएसयूज जिनके द्वारा लेखे अंतिमीकृत नहीं किए गए उनकी हानि, यदि कोई हो तो, आकलित नहीं की जा सकी।

(कंडिका 1.1, 1.5 एवं 1.6)

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितंबर माह के अंत तक कम्पनियों के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता, दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है, जिसके तहत् चूककर्ता कम्पनी के हर अधिकारी पर एक वर्ष तक की कैद या न्यूनतम

पचास हजार रूपये एवं अधिकतम पाँच लाख रूपये तक का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

20 कार्यशील पीएसयूज में से मात्र सात पीएसयूज ने वर्ष 2016–17 के लिए अपने लेखों को अंतिमीकृत किया जबकि 13 पीएसयूज के 20 लेखे 31 दिसंबर 2017 को एक से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए लंबित थे। 31 दिसम्बर 2017 को तीन अकार्यशील पीएसयूज के कोई भी लेखे बकाया नहीं थे। राज्य सरकार द्वारा आठ पीएसयूज को ₹ 7,707.17 करोड़ (अंशपूंजी, ऋण, पूंजीगत अनुदान एवं सब्सिडी) की बजटीय सहायता उस अवधि में दी, जब उनके लेखे बकाया थे, जिसमें से ₹ 315.63 करोड़ उन दो कार्यशील पीएसयूज को दिये गये थे, जिनके लेखे तीन वर्ष से अधिक के लिए बकाया थे।

राज्य सरकार ने राज्य के पीएसयूज के लिए कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की है। परिणामतः यद्यपि, नौ पीएसयूज ने, जिनमें शासन की अंशपूंजी ₹ 6,146.97 करोड़ थी, नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कुल ₹ 74.43 करोड़ का लाभ अर्जित किया, तथापि मात्र एक पीएसयू, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने ही ₹ 0.87 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

(कंडिका 1.8, 1.9 एवं 1.12)

अनुशंसाएँः

- **वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के पीएसयूज अपने लेखों को अद्यतन करने के लिए त्वरित कदम उठाएं जिससे इन पीएसयूज के निदेशक कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के दोषी ना बने रहें।**
- **वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिये पहल करनी चाहिए कि बजटीय सहायता उन पीएसयूज को न दी जाए जिनके लेखे अद्यतन नहीं है।**
- **वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश (अंशपूंजी का पाँच प्रतिशत) एवं मध्य प्रदेश (कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत) की सरकार के तर्ज़ पर लाभ कमाने वाले पीएसयूज में निवेश की गई अंशपूंजी पर विशिष्ट लाभांश के भुगतान के लिए लाभांश नीति तैयार करने पर विचार कर सकता है।**

लेखों पर टिप्पणियाँ

कम्पनी के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक अंकेक्षकों ने 16 कार्यशील कम्पनियों द्वारा अंतिमीकृत 20 लेखों पर दोषयुक्त प्रमाणपत्र दिये थे। आठ कम्पनियों के नौ लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 15 मामले थे जो कि कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की खराब स्थिति को दर्शाता है।

(कंडिका 1.15)

अनुशंसाः

वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों को तत्काल उन 16 कम्पनियों के कार्यो की समीक्षा करनी चाहिए जहां सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा दोषयुक्त टिप्पणियां दी गई हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उत्तरवर्ती क्रिया

मौजूदा निर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ उनकी विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना चाहिए। हाँलाकि, यह पाया

गया कि 31 मार्च 2016 राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत 2008–09 और 2014–15 के पाँच विभागों (ऊर्जा विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग, भूविज्ञान और खनन विभाग एवं वाणिज्यिक कर (उत्पाद) विभाग) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 20 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा में से तीन कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अब तक (31 जुलाई 2018) अप्राप्त हैं।

(कंडिका 1.17)

पीएसयूज का पुनर्गठन

1 नवंबर 2000 से प्रभावी तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 19 पीएसयूज (तब मौजूदा 28 पीएसयूज में से) की संपत्तियाँ और देनदारियाँ उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित की जानी थी। यद्यपि, दिसंबर 2017 तक केवल 13 पीएसयूज के संबंध में ही विभाजन पूरा किया जा सका।

(कंडिका 1.20)

अनुशंसाः

चूंकि राज्य के पुनर्गठन को लगभग दो दशक हो चुके हैं अतः राज्य सरकार को चाहिये कि वो मध्यप्रदेश सरकार के साथ मिलकर उन छः पीएसयूज की संपत्तियों और देनदारियों के शीघ्र विभाजन के लिए कार्य करें, जिनमें 01 नवंबर 2000 को ₹ 36.98 करोड़ का सरकारी निवेश था।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

चिन्हित वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया (जनवरी 2016)।

सीएसपीडीसीएल, वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण, फीडर मीटरीकरण, ग्रामीण फीडरों का ऑडिट और फीडर विभक्तिकरण के परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायी। सीएसपीडीसीएल ने स्मार्ट मीटरीकरण के क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं की।

(कंडिका 1.21)

2. सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा दर अनुबंधों का अंतिमीकरण एवं सामग्रियों का क्रय

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना 8 अक्टूबर 2004 को कृषि विभाग (विभाग) छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सरकारी कम्पनी के रूप में हुई। कम्पनी की मुख्य गतिविधि प्रमाणित बीज का उत्पादन, प्रसंस्करण/क्रय एवं किसानों को प्रमाणित बीजों का वितरण करना, कृषि यंत्रों, कीटनाशकों, हाईब्रिड सब्जी बीज इत्यादि को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों को आपूर्ति के लिए दर अनुबंधों का अंतिमीकृत करना एवं जैव उर्वरक का उत्पादन करना है।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान कम्पनी के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं जैसे दर अनुबंधों का अंतिमीकरण, सामग्रियों का क्रय, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन और आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली का आकलन करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी।

मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निम्नवत हैः

मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष 2012–13 से कम्पनी में मानव संसाधन की अत्यधिक कमी थी जो कि 42 प्रतिशत से 53 प्रतिशत के मध्य थी जिसके कारण कम्पनी का कार्य विपरीत रूप से प्रभावित हुआ। कम्पनी ने रिक्त पदों को भरने के लिए, विभाग की अनुमति होने के बाद भी, कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। कम्पनी के लेखों के अंतिमीकरण में विलंब का मुख्य कारण लेखापालों की कमी थी। कम्पनी अपने जिला कार्यालयों, प्रक्रिया केन्द्रों और प्रक्षेत्रों में आवश्यक अधिकारियों को पदस्थ करने मे विफल रही। मैदानी कार्यालयों में इन पदों की रिक्तियाँ 38 प्रतिशत से 62 प्रतिशत तक थी। परिणामतः निचले स्तर के अधिकारी इन मैदानी कार्यालयों का प्रभार संभाल रहे थे।

(कंडिका 2.1.6)

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र की कमी से लेखों के अंतिमीकरण में विलंब, आयकर का परिहार्य भुगतान, अधिशेष बीजों की नीलामी से आय की अप्राप्ति, निरस्त दर अनुबंधों से सामग्रियों का क्रय इत्यादि की कमी रही। कम्पनी के पास स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं है और न ही आंतरिक लेखापरीक्षा मेन्यूअल है। परिणामतः कम्पनी में 2012–13 से आंतरिक लेखापरीक्षा संपादित नहीं की गयी यद्यपि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार यह अनिवार्य था। कम्पनी के पास अनुबंधों को अंतिम रूप देने और सामग्रियों के खरीद के संबंध में कोई भी प्रबंधन सूचना प्रणाली नहीं थी एवं उपर्युक्त मामलों पर उच्च प्रबंधन को जानकारी देने के लिए कोई प्रतिवेदन/विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी।

(कंडिका 2.1.7, 2.1.7.1 एवं 2.1.7.4)

वित्तीय प्रबंधन

आयकर अधिनियम के तहत, अग्रिम आयकर के भुगतान के लिए आय के गलत अनुमान के कारण कम्पनी को 2012–13 और 2014–15 से 2016–17 के दौरान, दाण्डिक ब्याज के रूप में ₹ 3.84 करोड़ का भुगतान करना पड़ा था। कम्पनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को दी गई फीस पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करने के कारण ये व्यय अस्वीकृत हुए, परिणामतः कम्पनी को आयकर का भुगतान पर ₹ 4.27 करोड़ की हानि हुई जो कि परिहार्य थी।

(कंडिका 2.1.8.4 एवं 2.1.8.5)

दर अनुबंधों का अंतिमीकरण

कम्पनी ने 2012–13 से 2016–17 के दौरान, विभिन्न सामग्रियों की खरीद के लिए 70 दर अनुबंध (आरसी) को अंतिमीकृत किया जिसमें से 51 आरसी के नियम व शर्तो को छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 का उल्लंघन करते हुए निविदा आमंत्रित करने के बाद निर्धारित किया गया। कम्पनी ने 27 बोलीदाताओं के साथ नौ आरसी अंतिमीकृत किये जो कि निर्दिष्ट योग्यता मानदण्डों को पूरा नहीं कर रहे थे और 29 आपूर्तिकर्ताओं

के साथ 11 आरसी किये जो कि कपटसंधिकारक निविदा में सम्मिलित थे। परिणामस्वरूप ₹ 52.96 करोड़ का अनियमित क्रय हुआ। इसके अलावा, एक प्रकरण में कम्पनी ने कम दरों पर आरसी को अंतिम रूप देने में देरी की और पिछले आरसी के तहत उच्च दर पर सामग्री खरीदना जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ का नुकसान हुआ।

(कंडिका 2.1.9.3, 2.1.9.5, 2.1.9.6 एवं 2.1.9.9)

सामग्रियों का क्रय

अधिशेष बीजों की बिक्री के लिए सक्रिय विपणन रणनीति के अभाव के कारण कम्पनी ने अधिशेष बीजों की नीलामी पर ₹ 32.14 करोड़ की हानि उठाई। कम्पनी ने तीन निरस्त आरसी/अयोग्य बोलीदाताओं से ₹ 3.90 करोड़ की सामग्री खरीदी। इसके अलावा, कम्पनी ने समेकित कृषि व्यवसाय और कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना निष्पादित की। परियोजना के अधीन निजी भागीदार ने निर्दिष्ट उत्पादों के निर्माण के लिए छः स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनायी। पीपीपी पर बनाये गये एसपीवी का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि इन एसपीवीयों ने न तो राज्य के किसानों से कच्ची सामग्री खरीदी और न ही राज्य में रोजगार उपलब्ध कराये क्योंकि इन्होंने राज्य में कोई भी उत्पादन संयंत्र स्थापित नहीं किया। इसके बावजूद, कम्पनी ने इन एसपीवीयों से बिना निविदा बुलाए विभिन्न सरकारी विभागों के लिए ₹ 21.58 करोड़ की सामग्री खरीदी।

(कंडिका 2.1.10.2, 2.1.10.3 एवं 2.1.10.4)

अनुशंसाओं का सारांश

कम्पनी को चाहिए कि:

- **बिना किसी विलंब के अनुमोदित स्वीकृत पद के अनुसार मानव संसाधन की भर्ती करे।**
- **आंतरिक लेखापरीक्षा निर्देशिका/मेन्यूअल तैयार करे तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त मानव संसाधन नियुक्त करे।**
- **आयकर अधिनियम के तहत दण्ड से बचने के लिए तिमाही लाभ के सटीक अनुमान के लिए एक तंत्र तैयार करे।**
- **ऐसी फर्मे जो कि कपटसंधिकारक बोलियों में लिप्त थीं एवं तकनीकी समिति के ऐसे सदस्यों जिन्होंने कपटसंधिकारक बोलीदाताओं को योग्य करार दिया के विरूद्ध कार्यवाही करे।**
- **हानियों को टालने के लिए बचत बीजों को अन्य बीज विपणन एजेंसियों को विक्रय करने के लिए कदम उठाये।**
- **ऐसी अधिकारियों के विरूद्ध जिन्होने निरस्त आरसी/अयोग्य बोलीदाताओं से सामग्री क्रय की के विरूद्ध कार्यवाही करे।**
- **यह सुनिश्चित करे कि एसपीवी केवल राज्य के किसानों से ही कच्चा माल खरीदे और राज्य में विनिर्माण इकाईयाँ स्थापित करे। इसके अलावा, सरकारी विभागों के लिए कम्पनी द्वारा एसपीवी से मदों की खरीद छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियम के अनुसार खुली निविदा आमंत्रित करके किया जाना चाहिये।**

2.2 छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड की निर्माण गतिविधियों पर लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन दिसंबर 2011 को गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कम्पनी के रूप में किया गया था। कम्पनी ठेकेदारों को नियोजित करके पुलिस भवनों जैसे पुलिस स्टेशन, कार्यालय भवन और आवासीय भवन इत्यादि के निर्माण के लिए गृह विभाग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान, कम्पनी द्वारा ₹ 546.69 करोड़ मूल्य के कुल 286 कार्य लिये गये, जिनमें से ₹ 389.17 करोड़ मूल्य के 181 कार्य अपूर्ण थे, इन अपूर्ण कार्यों में 178 ऐसे कार्य सम्मिलित हैं जो निर्धारित पूर्णता दिनांक से दो से 52 माह तक पूर्णता हेतु विलंबित थे।

लेखापरीक्षा ने 2012–17 की अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य के अन्दर कम्पनी द्वारा किये गए निर्माण कार्यों से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया। मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं:

मानव संसाधन प्रबंधन

2012–13 से 2016–17 के दौरान, कम्पनी में मानव संसाधन की कमी 34.21 प्रतिशत से 78.91 प्रतिशत तक रही। महाप्रबंधक (वित्त) का पद 2012–13 और 2014–15 में नहीं भरा गया था और लेखा अधिकारी का पद कम्पनी के प्रारंभ से ही नहीं भरा गया था जिसके कारण वित्तीय गतिविधियों पर अपर्याप्त निगरानी और परिणामस्वरूप वित्तीय प्रबंधन में कमियाँ रही। इसके अतिरिक्त, इंजीनियरिंग कैडर में रिक्तियों को भरने में देरी के कारण कार्यों का अपर्याप्त पर्यवेक्षण हुआ और परिणामस्वरूप कार्यों के पूरा होने में विलंब हुआ।

(कंडिका 2.2.6)

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी ने योजनाओं/परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पीएचक्यू से प्राप्त धनराशि पर ₹ 53.55 करोड़ की ब्याज आय को परियोजना निधि में जमा करने की बजाय अपनी आय के रूप में लेखांकित किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.52 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ₹ 1.95 करोड़ के सेवाकर का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप दाण्डिक ब्याज और शास्ति के रूप में ₹ 60.51 लाख की परिहार्य देयता बनी। इसके साथ ही, कम्पनी ने तीन बैंकों में ₹ 57.22 करोड़ जमा किये थे जो कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार आधिक्य निधि के विनियोजन हेतु पात्र नहीं थे।

(कंडिका 2.2.7.1 से 2.2.7.3)

आंतरिक निरीक्षण प्रणाली

कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र, कार्यों की प्रगति हेतु प्रतिवेदन प्रणाली, लेखों के संधारण और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव था।

(कंडिका 2.2.8)

संविदात्मक प्रावधानों में कमियाँ

कम्पनी कार्यों के निष्पादन के एकरूप और पारदर्शी नियमन के लिए एक कार्य मेन्युअल तैयार करने में विफल रही। कम्पनी ने ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों को अपूर्ण छोड़ देने के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए अनुबंधों में जोखिम एवं लागत उपवाक्य सम्मिलित नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी अनुबंध की नियम एवं शर्तों के अनुसार चूककर्ता ठेकेदारों से ₹ 1.04 करोड़ क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल करने में भी असफल रही। इसके अलावा,

कम्पनी ने छत्तीसगढ़ शासन के कार्य विभाग (डब्ल्यूडी) मेन्युअल का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों को ₹ 2.62 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम प्रदान किया। कम्पनी ने डब्ल्यूडी मेन्युअल के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए ₹ 30.23 करोड़ मूल्य के नौ कार्य एकल निविदा के आधार पर निविदा के प्रथम आमंत्रण में ही अवार्ड कर दिये।

(कंडिका 2.2.9.1 एवं 2.2.9.4)

कार्यों का अवार्ड, क्रियान्वयन और निगरानी

कम्पनी ने अधिकारों के प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन लिए बिना ₹ 46.80 करोड़ मूल्य के पाँच कार्य अवार्ड कर दिये। नमूना जाँच में 10 कार्यों का निष्पादन उनके निर्धारित पूर्णता दिनांक से 12 से 31 महीनों तक की अवधि के लिए विलंबित था जिसका कारण ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति व कार्य रोक देना था। विलंबित/छोड़े गये कार्यों के निरस्तीकरण एवं री–अवार्ड करने में विलंब के परिणामस्वरूप कार्यों से अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई इसके अतिरिक्त ₹ 29.32 करोड़ की निधि 31 महीनों तक अवरूद्ध रही। कम्पनी ने ठेकेदारों से अनुबंध के नियम व शर्तों के अनुसार विलंब के लिए ₹ 1.89 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं की।

(कंडिका 2.2.10.1 से 2.2.10.3)

अनुशंसाओं का सारांश

कम्पनी को चाहिए कि:

- **समयबध्द तरीके से रिक्त पदों को भरे जिससे कि निर्माण गतिविधियों के साथ–साथ वितीय प्रबंधन पर पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित हो सके।**
- **परियोजना निधि पर अर्जित ब्याज को परियोजना खातों में जमा करे या पीएचक्यू को प्रेषित करे ताकि आयकर का अनावश्यक भुगतान न करना पड़े।**
- **सेवाकर के विलंब से भुगतान के परिणामस्वरूप निर्मित परिहार्य दायित्व हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करे।**
- **अपनी निधि को अयोग्य बैंकों के खातों से योग्य बैंको के खातों में तुरंत अंतरित करें।**
- **अपनी निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिये डब्ल्यूडी मेन्युअल की तर्ज़ पर स्वयं का कार्य मेन्युअल तैयार करे।**
- **अनुबंधों मे जोखिम और लागत की वसूली के लिए उपयुक्त उपवाक्य शामिल करे तथा चूककर्ता ठेकेदारों से शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की समय से वसूली सुनिश्चित करे।**
- **डब्ल्यूडी मेन्युअल की तर्ज़ पर अपने अनुबंध के मोबिलाईजेशन अग्रिम प्रदान करने से संबंधित उपवाक्य को संशोधित करे।**
- **कार्यों को अवार्ड करते समय पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करें तथा लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करे।**
- **अधिकारों के प्रत्यायोजन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यों के अवार्ड एवं निष्पादन के प्रत्येक स्तर पर सक्षम प्राधिकारियों का यथोचित अनुमोदन प्राप्त किया गया।**
- **शास्तियों के अधिरोपण/वसूली करते समय अनुबंधों की शर्तों का सदैव अनुपालन करे तथा कार्यों का समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित करे।**

3. अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का सारांश नीचे वर्णित है:

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान खुदरा विक्रेता से वसूल करने के स्थान पर स्वयं के मार्जिन से करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.53 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.1)

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष में वर्तमान आय का सही आकलन करने में विफल रहने तथा समय पर आयकर विवरणियों को दाखिल न करने के कारण आयकर विभाग को अनावश्यक रूप से ₹ 1.17 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.2)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा अपने बैंक खातों में ऑटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण ₹ 1.90 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.3)